80

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2685–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 17–8–2015 – पारित व्दारा – तहसीलदार शमशावाद जिला विदिशा – प्रकरण कमांक 7 अ–70/2014–15

1– देवी सिंह 2– सरवन सिंह
पुत्र चिरोंजीलाल किरार, ग्राम बीझ
तहसील शामशावाद जिला विदिशा —— आवेदकगण

विरूद्ध

1– कल्याण 2– कमल सिंह
3– जीवनसिह 4– सीताराम
चारों पुत्रगण घांसीराम किरार
5– महिला धप्पोवाई पत्नि घांसीराम
6– गुडडीवाई पुत्री घांसीराम
7– कमलेश पुत्र सरवनसिंह किरार
8– रामस्वरूप पुत्र देवीसिंह किरार
9– पहलवानसिंह पुत्र देवीसिंह किरार
निवासी ग्राम बींझ तहसील शमशावाद
10– तहसीलदार शमशावाद जिला विदिशा ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी)

(अनावेदक–1 से 6 के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 16– 2 –2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार शमशावाद जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 7 अ–70/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–8–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क0 1 लगायत 9 ने ग्राम बींझ स्थित उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 18/1, 356/5, 357, 362/12/1, 364 कुल किता 5 कुल रकबा 6.694 हैक्टर का सीमांकन कराया। सीमांकन के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त रकबे में से सर्वे कमांक 18/1 रकबा 0.627 हैक्टर भूमि पर आवेदक देवी सिंह का बेजा कब्जा एंव 0.090 है. पर सरवन सिंह का बेजा कब्जा पाया गया, जिसके कारण उन्होंने संहिता की धारा 250 का दावा तहसीलदार शमशावाद के यहॉ लगाया। तहसीलदार ने प्रकरण नंबर 7 अ 70/14-15 दर्ज किया । सुनवाई के दौरान आवेदकगण ने संहिता की धारा 32 का आवेदन देकर आपत्ति दर्ज कराई कि अनावेदक कमांक 1 से 9 का भूमि पर फर्जी नामान्तरण हुआ है इसलिये धारा 250 की कार्यवाही स्थगित की जावे। तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 17-8-15 पारित किया तथा आवेदकगण की आपत्ति अमान्य कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के अभिभाषकों ने बहस के दिन लेखी बहस प्रस्तुत करने का आग्रह करने पर 7 दिवस का समय दिया गया। अनावेदकगण की ओर से लेखी बहस प्राप्त, किन्तु आवेदकगण की ओर से नियत समयावधि में लेखी बहस प्रस्तुत न करने के कारण निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो के आधारों पर एंव अनावेदक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण ने तहसीलदार शमशावाद के समक्ष संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर आपत्ति यह

की है कि अनावेदक कमांक 1 से 9 का कुल फर्जी नामान्तरण हुआ है इसलिये धारा 250 की कार्यवाही स्थगित की जावे। जहां तक वाद विचारित भूमि पर अनावेदक कमांक 1 से 9 का नामान्तरण किस प्रकार हुआ है विचाराधीन प्रकरण में विचार बिन्दु यह नहीं है क्योंकि वह रिकार्डेड भूमिस्वामी हैं और रिकार्डेड भूमिस्वामी की भूमि का सीमांकन होने पर सर्वे कमांक 18/1 रकबा 0.627 हैक्टर भूमि पर देवी सिंह का बेजा कब्जा एंव 0.090 है. पर सरवन सिंह का बेजा कब्जा पाया गया, और बेजा कब्जा ज्ञात होने पर उन्होंने संहिता की धारा 250 का दावा लगाया है। सुनवाई के दौरान आवेदकगण तहसीलदार शमशावाद को यह समाधान नहीं करा सके हैं कि धारा 250 की कार्यवाही रोके जाने हेतु उन्होंने किस सक्षम न्यायालय से स्थगन आदि प्राप्त किया है ? इन्हीं कारणों तहसीलदार ने आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन अमान्य किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार शमशावाद जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 7 अ-70/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-8-2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर